राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पुनर्वित्त विभाग
प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org

NABARD

National Bank for Agriculture and Rural Development

Department of Refinance
Head Office : BKC, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Tel. : +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

संदर्भ सं. राबैं. प्रका. पुवि. जीएसएस/ 378/ एनपीओएफ़-1/ 2015-16

परिपत्र सं. 86 /डीओआर- 25 / 2015

6 मई 2015

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
क्षेग्रा बैंक/ रास बैंक /रासकृग्रावि बैंक/ अनु. प्राशस बैंक/ कृविवि निगम/ नेडफी

महोदय

जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत जैविक निविष्टियों की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना – 2015-16 के दौरान योजना को जारी रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 मई 2015 का हमारा पत्र सं. एनबी. डीओआर/ जीएसएस/ 868/ एनपीओएफ़-1/ 2014-15 देखें. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने हमें सूचित किया है कि यह योजना 2015-16 में जारी रहेगी. इसलिए बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक वित्तपोषित परियोजनाएं, योजना के निबंधनों और शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी अनुदेशों के अधीन, इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र होंगी. आगे हम यह भी सूचित करते हैं कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने इस योजना के लिए रु. 5.0 करोड़ का प्रावधान रखा है.

2. आप इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इसे शीघ्रातिशीघ्र अपने बैंक की सभी शाखाओं के ध्यान में लाएं. योजना से संबन्धित दिशानिर्देश हमारी वेबसाइट www.nabard.org पर उपलब्ध हैं.

भवदीय

(एस के बंसल)
मुख्य महाप्रबंधक

Ref.No.NB.HO.DoR.GSS/ 378 /NPOF-1/ 2015-16

Circular No. 86 /DoR- 25 /2015

6 May 2015

Chairman/Managing Director
All Scheduled Commercial Banks
RRBs/SCBs/SCARDBs
Scheduled PUCBs/ADFCs/NEDFi

Dear Sir

Capital Investment Subsidy Scheme for Commercial Production Units of Organic Inputs under National Project on Organic Farming - Continuation of Scheme during 2015-16

Please refer to our letter No.NB.DoR/GSS/868/NPOF-1/2014-15, dated 30 May 2014 on the captioned subject. We have been advised by MoA, GoI that the scheme shall continue during 2015-16. Hence projects financed by banks during 1 April 2015 to 31 March 2016 will be considered eligible to receive subsidy under the scheme, subject to the terms and conditions of the scheme and instructions by GoI from time to time in this regard. Further we advise that the MoA, GoI has kept provision of Rs.5.0 crore for the scheme.

2. You may bring this to the notice of all your bank branches at the earliest for implementation of the scheme, the guidelines for which are available in our website www.nabard.org.

Yours faithfully

(S K Bansal)
Chief General Manager